GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy **New Delhi, dated 19 .06 .2015**

The General Managers,
All Indian Railways/PUs,
DG/RDSO, Lucknow & CAO(R), Patiala.

Sub:- **Scheme for engagement of "Honorary Visiting Specialists" in Railway Hospitals-consolidated instructions.**

Ref:- **Board's letters no. 2004/H/23/3 dated 04.08.2004, 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006, 25.06.2008, 15.01.2010, 2010/H-1/12/8 dated 11.05.2012, 2010/H-1/12/8Pt. Dated 30.10.2013 & 2013/H-1/12/5 dated 13.10.2014.**

The instructions issued by the Railway Board from time to time on the subject are contained in several letters, which has now been consolidated incorporating all the instructions issued so far on the subject and also revised provisions as approved by Board regarding procedure for selection, competent authority to approve engagement of Honorary Visiting Specialist and age profile etc., for information and guidance of all concerned.

1. <u>Procedure for Selection</u>

In supersession to the procedure of selection contained in Board's letter dated 30.10.2013, the revised procedure for selection of Honorary Visiting Specialists will be as under:

1.1 Zonal Railways (CMD) or PU (CMO) will constitute a standing committee of three doctors headed by MD/CMS/In charge for undertaking selection

1.2 The engagement of Honorary Visiting Specialists shall be made by inviting applications to fill up the vacancies by way of open advertisement in the leading Newspapers as well as over Indian Railways Website as is being done in the case of Contract Medical Practitioners (CMPs).

1.3 Screening of the papers only will be done and the selected doctors' name will be forwarded to Board with the zones recommendation. The Honorary Visiting Specialist will not be called for physically.

1.4 Committee will record the rationale of making a particular choice.

2. <u>Competent Authority to approve engagement of Honorary Visiting Specialist.</u>

2.1 For a person being engaged for the first time as "Honorary Visiting Specialist" approval will be given by DG/RHS so as to ensure quality check at Board's level.

2.2 Thereafter, subsequent extensions may be given by General Manager, DG/RDSO, CAO(Railways) subject to adoption of a transparent method based on the performance report to be recorded at a senior level by medical department.

3. **The maximum number of "Honorary Visiting Specialists" which may be Appointed in each hospital will be as under:-**

	Central Railway Hospitals	Maximum number that can be engaged
3.1	For Central Hospitals of CR, ER, NR, SR, SER & WR (15 Nos. in each of the Hospital)	6X15 = 90
3.2	For Central Hospitals of ECR,ECoR,NCR,NER, NFR,NWR,SCR.SECR.SWR & WCR (10 Nos. in each of the Hospital)	10X 10 = 100
	Total	**190**
3.3	Major Divisinal/Special Railway Hospitals	
(i)	**CRHospital, Nagpur**	06
(ii)	**CRHospital, Bhusawal**	06
(iii)	**ERHospital, Asansol**	06
(iv)	**NRHospital, Charbagh, Lucknow**	06
(v)	**NCRHospital, Jhansi**	06
(vii	**NWRHospital, Ajmer**	06
(vii)	**SRHospital, Tiruchchirapaly**	06
(viii)	**SCRHospital, Vijayawada**	06
(ix)	**SERHospital, Kharagpur**	06
(x)	**NERHospital, CRI, Varanasi**	06
	Total	**60**
3.4	**Other Divisional Hospitals – 43 (4 Nos. in each hospitals)**	43x4=172
3.5	**New Divisions added after 2006 i.e. ECR, ECOR, SECR & WCR vide Board's letter No.2005/H-1/12/34 dated 25-06-2008. (4 Nos. in each)**	4x4=16
3.6	**Sub-Divisional/ Production Units Workshop based Hospitals/ Extra Divisional Hospitals (3 Nos. in each hospitals) .**	52x3=156
	Grand Total	**594**

(Authority: Board's letter No.2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006, 2005/H-1/12/34 dated 25.06.2008 & 19.09.2008)

At any given point of time the total Number of "Honorary Visiting Specialists" and "Honorary Consultants" added together will not cross the upper limit of "Honorary Visiting Specialists" that can be engaged for any Hospital.

4. **<u>Qualification and Experience:-</u>**

4.1 **Super Specialist** - minimum qualification will be Post Doctoral qualification DM/MCH or equivalent.

(Authority: Board's letter No.2010/H-1/12/Pt. dated 30.10.2013)

4.2 **Specialist** - Post-Graduate degree from a recognized University. Minimum 3 years experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G..degree.

3/-

4.3 Where suitable candidates with PG degree are not available PG Diploma holders with 5 years experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G. diploma.

(Authority: Board's letter No.2010/H-1/12/ dated 11.05.2012)

5. **Age Profile:-**

5.1 During first time engagement, the preferred age is between 30 years to 64 years.
5.2 Upper age limit of continued engagement is 65 years.

6. **Tenure of working:-**

6.1 Each time the offer is given, it is to be given for year only.
6.2 After expiry of one year, extension can be given as per para 2 above.

7. **Number of visits/Number of Hours etc:-**

7.1 Average of 2 hours every day/6 days/week.
7.2 Average of 2 hours every day/4 days/week
7.3 Average of 2 hours every day/2 days/week.

In addition they will have to come to hospital whenever called in for emergency on any day, including Sunday and off day (for 4 days & 2 days/week) and at any time of the day.

(6 to 7 – Authority: Board's letter No. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005)

8. **How to decide about who should be engaged for 6 days/4 days/2 days per week**

To be decided depending upon workload in the required specialty & to be recorded by the concerned MD/CMS/CMD.
(Modified with the approval of Board {MS}).

9. **Honorarium to be paid:-**

Hours of Duty	Specialist	Super Specialist
2 hours a day for 6 days/week	Rs.32000/ P.M.	Rs. 40000/ P.M.
2 hours a day for 4 days/week	Rs. 20000/ P.M.	Rs. 25000/ P.M.
2 hours a day for 2 days/week	Rs. 10000/ P.M.	Rs. 12500/ P.M.

(Authority: Board's letter No.2010/H-1/12/8 Pt. dated 30.10.2013)

10. **Free Railway Passes:-**

10.1 One set of complimentary Railway Pass valid all over Indian Railway & Konkan Railway in AC two tier including Rajdhani Express and in AC Chair Car of Shatabdi Express for self + spouse and dependent Children (as per rules applicable for Railway employees) will be made available as per the entitlement of Selection Grade officers in each calendar year.
10.2 The complementary pass can be availed after 3 months of engagement for the calendar year.

(Authority: Board's letter No.2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005)

4/---

11. **Implementation of the above scheme:-**

The "Honorary Visiting Specialists" are to be engaged in the Specialty as per the local need to be decided by CMD of Zonal Railways.

(Authority: Board's letter No.2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006-Para-8)

12. **Daily Rate of deduction of remuneration:-**

They are allowed to have 12 days leave every year. For any absence beyond 12 days, deductions will be made at the following rates (at the Previous rate on the increased Honorarium as at Para-9):-

Number of hours/days/week	SPECIALIST	SUPER SPECIALIST
2 hours a day for 6 days/week	Rs. 1360/P.D	Rs. 1700/P.D
2 hours a day for 4 days/week	Rs. 1250/P.D	Rs. 1563/P.D.
2 hours a day for 2 days/week	Rs. 1250/P.D.	Rs. 1563/P.D.

13. **Termination of contract:-**

The contracts may be terminated at any time, on one month notice on either side. The Administration reserves the right not to assign any reason for such Termination.

14. **Evaluation:-**

The impact of the scheme is to be properly evaluated by monitoring of prescribed Parameter. The monitoring proforma is enclosed.

(12 to 14 – Authority: Board's letter No. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005)

15. **Financial Evaluation of the scheme:-**

For the purpose of doing financial evaluation of the scheme, the following procedures are to be adopted. The total number of Railway patients provided professional services by Honorary Visiting Specialists is to be multiplied with rates of services as given below. The rates of the professional services are:

(15 – Authority: Board's letter No. 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006)

15.1 **For Consultation Services**

For both OPD & IPD consultation as per applicable CGHS rates for that city or of nearest city.

15.2 **For Surgical operative Service:-**

1. **For minor surgical operation - Rs. 8,000/- per case**
2. **For major surgical operation - Rs.15,000/- per case**
3. **For special surgical operation - Rs. 30,000/- per case**
4. **For tertiary level surgical operation - Rs. 50,000/- per case**

(15.2 – Authority: Board's letter No. 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006)

5/---

With the implementation of this scheme, the Honorary Visiting Specialists will be giving consultations & performing surgeries and other advice as required. They would be performing surgeries also in the Railway Hospitals, and those cases which require referral and the condition of that patient is such that it is manageable during operation and post operative period in that Railway hospital, will not be referred to Private/Govt. Hospitals, for the specialty for which visiting specialists are available in that Railway Hospital. It is further clarified that few high risk patients will still be required to be referred to higher medical Centers.

16. **About Anesthetists from Market:-**

16.1 For small such Hospitals where number of posts of Medical Officers is 9 or below, the directions as given in Para 12.4 in the order No. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005: Anesthetists are to be called in from market for Anesthsia work as per directives given in Railway Board's letter No. 2004/H/23/3/ dated 04.08.2004 & 2013/H-1/12/5 dated 13.10.2014 with slight modification that they are to be called in these hospitals without the post of Anesthestist being available in these hospitals and even if all the posts of IRMS Cadre are fully occupied- is to be followed.

16.2 For other Hospitals Anesthetist from market to be called as per rules given in Railway Board's letter No. 2004/H/23/3 dated 04.08.04& 2013/H-1/12/5 dated 13.10.2014.

(15 to 16 – Authority: Board's letter No. 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006)

17. **Further extension of the Scheme:-**

The scheme is effective till 30/6/15. Further extension will be considered based on financial implications of the scheme.

(Authority: Board's letter No. 2013/H-1/12/1/Policy dated 25.06.2014)

18. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

19. Hindi Version will follow.

DA/ As above (para 14)

(Dr.Anil Kumar)
Adviser/Health
Railway Board

No. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy **New Delhi, dated 19.06.2015**

Copy is forwarded for information & necessary action to:

1. **The FA&CAO, All Indian Railway/All PUs.**
2. **The Chief Medical Directors, All Indian Railway/All PUs.**

(Dr.Anil Kumar)
Adviser/Health
Railway Board

No. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy **New Delhi, dated 19.06.2015**

Copy is forwarded for information & necessary action to:

1. **The Principal Directors of Audit, All Indian Railway/All PUs.**
2. **Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.-24, Rail Bhawan, New Delhi**

For Financial Commissioner, Railway Board

Copy for JDF(E) & F(E) Spl., Railway Board, New Delhi.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/एच-1/12/8/एचबीएस/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), पटियाला.

विषय : रेलवे अस्पतालों में " ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्टों" को नियुक्त करने की योजना - समेकित अनुदेश।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 04.08.2004 का पत्र सं. 2004/एच/23/3, दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40, दिनांक 27.06.2006, 25.06.2008, 15.01.2010 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34, दिनांक 11.05.2012 का पत्र सं. 2010/एच-1/12/8, दिनांक 30.10.2013 का पत्र सं. 2010/एच-1/12/8पार्ट और दिनांक 13.10.2014 का पत्र सं. 2013/एच-1/12/5.

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश अनेक पत्रों में दिए गए हैं जिन्हें अब सभी संबंधितों को सूचना और दिशा-निर्देश देने के लिए इस विषय पर अभी तक जारी किए गए सभी अनुदेशों और चयन की प्रक्रिया, ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्ट की नियुक्ति को अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी और आयु विवरण आदि के संबंध में बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित प्रावधानों को भी शामिल करते हुए समेकित किया गया है।

1. चयन की प्रक्रिया:

बोर्ड के दिनांक 30.10.2013 के पत्र में निहित चयन की प्रक्रिया का अधिक्रमण करते हुए ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों के चयन की संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

1.1 चयन करने के लिए क्षेत्रीय रेलें (सीएमडी) या उत्पादन इकाइयां (सीएमओ) तीन डॉक्टरों की एक स्थायी समिति का गठन करेंगी जिनके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक/सीएमएस/प्रभारी होंगे।

1.2 ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों की नियुक्ति प्रमुख समाचारपत्रों में और भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर खुला विज्ञापन देकर रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करके की जाएगी, जैसाकि कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर(सीएमपी) के मामले में किया जा रहा है।

1.3 केवल उत्तरपत्रों की जांच होगी और ज़ोनों की सिफारिश के साथ चयनित डॉक्टरों के नाम बोर्ड को भेजे जाएंगे। स्वयं ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

1.4 समिति किसी विशेष व्यक्ति के चयन के औचित्य को दर्ज करेगी।

2. ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों की नियुक्ति को अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी.

2.1 "ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट" के रूप में पहली बार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अनुमोदन महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवा द्वारा दिया जाएगा ताकि बोर्ड स्तर पर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जा सके।

2.2 तत्पश्चात्, महाप्रबंधक, महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलों) द्वारा बाद में समयावधि बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि इस संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा किसी वरिष्ठ स्तर पर दर्ज की जाने वाली निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर एक पारदर्शी पद्धति अपनाई गई हो।

3. "ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" की अधिकतम संख्या, जिन्हें प्रत्येक अस्पताल में नियुक्त किया जा सकता है, निम्नानुसार होगी:

सेन्ट्रल रेलवे अस्पताल		अधिकतम संख्या, जितनों को नियुक्त किया जा सकता है
3.1	मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे के सेन्ट्रल अस्पतालों के लिए (प्रत्येक अस्पताल में 15 अदद)	6x15 = 90
3.2	पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तट रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के सेन्ट्रल अस्पतालों के लिए (प्रत्येक अस्पताल में 10 अदद)	10x10 = 100
	कुल	**190**
3.3	प्रमुख मंडल/स्पेशल रेलवे अस्पताल	
(i)	**म.रे. अस्पताल, नागपुर**	06
(ii)	**म.रे. अस्पताल, भुसावल**	06
(iii)	**पू.रे. अस्पताल, आसनसोल**	06
(iv)	**उ.रे. अस्पताल, चारबाग, लखनऊ**	06
(v)	**उ.म.रे. अस्पताल, झांसी**	06
(vi)	**उ.प.रे. अस्पताल, अजमेर**	06
(vii)	**द.रे. अस्पताल, तिरुचिरापल्ली**	06
(viii)	**द.म.रे. अस्पताल, विजयवाड़ा**	06
(ix)	**द.पू.रे. अस्पताल, खड़गपुर**	06
(x)	**पूर्वो.रे. अस्पताल, सीआरआई, वाराणसी**	06
	कुल	**60**
3.4	**अन्य मंडल अस्पताल - 43 (प्रत्येक अस्पताल में 04 अदद)**	43x4 =172
3.5	**बोर्ड के दिनांक 25.06.2008 के पत्र सं. 2005/एच-1/12/34 के तहत 2006 के बाद शामिल किए गए नए मंडल अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तट रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे (प्रत्येक में 04 अदद)।**	4x4=16
3.6	**उप मंडल/उत्पादन इकाइयों के वर्कशॉप में स्थित अस्पताल/अतिरिक्त मंडल अस्पताल (प्रत्येक अस्पताल में 3 अदद)**	52x3 = 156
	सकल योग	**594**

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34, दिनांक 25.06.2008 और 19.09.2008 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

किसी दिए गए समय में कुल मिलाकर "ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" और "ऑनरेरी कंसल्टैंट्स" की कुल संख्या "ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" की अधिकतम सीमा, जिन्हें किसी भी अस्पताल में नियुक्त किया जा सकता है, से अधिक नहीं होगी।

4. <u>अर्हता और अनुभव:-</u>

4.1 **सुपर स्पेशलिस्ट-** न्यूनतम अर्हता पोस्ट डॉक्टरल अर्हता डीएम/एमसीएच अथवा इसके समकक्ष होगी।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 30.10.2013 का पत्र सं. 2010/एच-1/12/पार्ट)

4.2 स्पेशलिस्ट- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री। स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशलिटी से संबंधित व्यावसायिक कार्य में कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव।

4.3 यदि स्नातकोत्तर डिग्री वाले उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशलिटी से संबंधित व्यावसायिक कार्य में 5 वर्ष के अनुभव वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 11.05.2012 का पत्र सं. 2010/एच-1/12)

5. <u>आयु विवरण:-</u>

5.1 पहली बार नियुक्ति के दौरान, 30 वर्ष और 64 वर्ष के बीच की आयु वालों को तरजीह दी जाएगी।

5.2 लगातार नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।

6. <u>कार्यकाल:-</u>

6.1 हर बार प्रस्ताव दिया जाता है, यह केवल एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

6.2 एक वर्ष बीत जाने के बाद उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है।

7. <u>विजिट/घंटों आदि की संख्या:-</u>

7.1 प्रतिदिन औसतन 2 घंटे/सप्ताह में 6 दिन

7.2 प्रतिदिन औसतन 2 घंटे/सप्ताह में 4 दिन

7.3 प्रतिदिन औसतन 2 घंटे/सप्ताह में 2 दिन

इसके अलावा, उन्हें रविवार और अवकाश के दिन सहित किसी भी दिन जब कभी आपातकाल में और दिन के किसी भी समय बुलाए जाने पर अस्पताल में आना होगा (सप्ताह में 4 दिन और 2 दिन के लिए)।

(6 से 7 - प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40)

8. <u>यह कैसे निर्णय किया जाए कि किसे सप्ताह में 6 दिन/4 दिन/2दिन के लिए नियुक्त किया जाएगा:</u>

अपेक्षित स्पेशलिटी में कार्यभार के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और इसे संबंधित एमडी/सीएमएस/सीएमडी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

(बोर्ड {सदस्य कार्मिक} के अनुमोदन से संशोधित)

9. <u>भुगतान किया जाने वाला मानदेय:-</u>

ड्यूटी के घंटे	स्पेशलिस्ट	सुपर स्पेशलिस्ट
सप्ताह में 6 दिन के लिए एक दिन में दो घंटे	प्रति माह 32000/- रूपए	प्रति माह 40000/- रूपए
सप्ताह में 4 दिन के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति माह 20000/- रूपए	प्रति माह 25000/- रूपए
सप्ताह में 2 दिन के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति माह 10000/- रूपए	प्रति माह 12500/- रूपए

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 30.10.2013 का पत्र सं. 2010/एच-1/12/8 पार्ट)

10. <u>निःशुल्क रेलवे पास:-</u>

10.1 प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों की पात्रता के अनुसार स्वयं+पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए (रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार) राजधानी एक्सप्रेस सहित ए सी टू टियर और शताब्दी एक्सप्रेस के वातानुकूलित कुर्सीयान में संपूर्ण भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे में वैध एक सेट मानार्थ रेलवे पास उपलब्ध कराया जाएगा।

10.2 मानार्थ पास कैलेण्डर वर्ष में नियुक्ति के 3 माह के बाद प्राप्त किया जा सकता है।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40)

11. उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन:-

"ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" की नियुक्ति स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्पेशलिटी में की जाएगी जिसका निर्णय क्षेत्रीय रेलों के सीएमडी द्वारा लिया जाएगा।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 के पत्र सं. 2005/एच-1/12/34 का पैरा-8)

12. पारिश्रमिक में कटौती की दैनिक दर:-

उन्हें प्रत्येक वर्ष 12 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है। 12 दिनों के बाद किसी भी अनुपस्थिति के लिए निम्नलिखित दरों पर पारिश्रमिक में कटौती की जाएगी (पैरा-9 के अनुसार आवर्द्धित मानदेय की पिछले दर पर):-

सप्ताह में प्रति दिन घंटों की संख्या	स्पेशलिस्ट	सुपर स्पेशलिस्ट
सप्ताह में 6 दिनों के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति दिन 1360/- रूपए	प्रति दिन 1700/- रूपए
सप्ताह में 4 दिनों के लिए 2 घंटे	प्रति दिन 1250/- रूपए	प्रति दिन 1563/- रूपए
सप्ताह में 2 दिनों के लिए 2 घंटे	प्रति दिन 1250/- रूपए	प्रति दिन 1563/- रूपए

13. अनुबंध की समाप्ति:-

किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन के पास इस प्रकार अनुबंध समाप्त करने का कारण नहीं बताने का अधिकार सुरक्षित है।

14. मूल्यांकन:-

इस योजना के प्रभाव का विधिवत मूल्यांकन निर्धारित पैरामीटर की निगरानी द्वारा किया जाएगा। निगरानी प्रोफार्मा संलग्न है।

(12 से 14- प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40)

15. योजना का वित्तीय मूल्यांकन:-

योजना का वित्तीय मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनानी होती है। ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों द्वारा जिन रेलवे के मरीजों को व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई गई है, उनकी कुल संख्या को नीचे दी गई सेवाओं की दरों से गुणा किया जाना है। व्यावसायिक सेवाओं की दरें निम्नानुसार हैं:

(15 - प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

15.1 परामर्श सेवाओं के लिए

ओपीडी और आईपीडी दोनों किस्म के परामर्श के लिए उस शहर या नजदीकी शहर के लिए लागू सीजीएचएस दरों के अनुसार।

15.2 शल्य चिकित्सा सेवा के लिए:-

1. छोटी शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 8,000/- रूपए
2. बड़ी शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 15,000/- रूपए
3. स्पेशल शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 30000/- रूपए
4. तृतीय स्तर की शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 50,000/- रूपए

(15.2 - प्राधिकार - बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

इस योजना को लागू करने से ऑननेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट परामर्श देंगे और शल्य चिकित्सा करेंगे और यथा अपेक्षित अन्य सुझाव देंगे। वे रेलवे अस्पतालों में भी शल्य चिकित्सा करते रहेंगे और ऐसे मामलों जिन्हें रेफर करने की आवश्यकता हो और उस मरीज की स्थिति ऐसी हो कि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन अवधि के बाद उस रेलवे अस्पताल में संभाला जा सके, तो उस स्पेशलिटी जिसके लिए उस रेलवे अस्पताल में विजिटिंग स्पेशलिस्ट उपलब्ध है, के लिए उसे प्राइवेट/सरकारी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। यह पुन:

स्पष्ट किया जाता है कि कुछ अधिक जोखिमपूर्ण मरीजों को अभी भी बड़े चिकित्सा केन्द्रों में रेफर करने की आवश्यकता होगी।

16. **बाजार से अनेस्थेटिस्टों के बारे में:-**

16.1 ऐसे छोटे अस्पतालों, जहां चिकित्सा अधिकारियों के पदों की संख्या 9 अथवा इससे कम हो, के लिए दिनांक 15.12.2005 के आदेश सं. 2001/एच-1/12/40 के पैरा 12.4 में दिए गए यह निर्देश कि अनेस्थेसिया कार्य के लिए बाजार से अनेस्थेटिस्टों को रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.08.2004 के पत्र सं. 2004/एच/23/3/ और दिनांक 13.10.2014 के पत्र सं. 2013/एच-1/12/5 में दिए गए निर्देशों में इस आंशिक संशोधन के साथ कि उन्हें इन अस्पतालों में अनेस्थेटिस्ट का पद उपलबध न होने के कारण इन अस्पतालों में बुलाया जाएगा और यदि आईआरएमएस संवर्ग के सभी पदों का पूर्णत: उपयोग हो जाता है तो इसका पालन किया जाना है।

16.2 अन्य अस्पतालों के लिए बाजार से अनेस्थेटिस्ट को रेलवे बोर्ड के दिनांक 4.08.04 के पत्र सं. 2004/एच/23/3 और दिनांक 13.10.2014 के पत्र सं. 2013/एच-1/12/5 में दिए गए नियमों के अनुसार बुलाया जाएगा।

(15 से 16 - प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

17. **इस योजना की आगे और समयावधि बढ़ाना:**

यह योजना 30.6.15 तक प्रभावी है। इस योजना के वित्तीय निहितार्थों के आधार पर इस योजना की आगे और समयावधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 25.06.2014 का पत्र सं. 2013/एच-1/12/1/पॉलिसी)

18. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त (पैरा 14)

19/6/15

(डॉ. अनिल कुमार)
सलाहकार/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2015**

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं सभी उत्पादन इकाइयां.
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं सभी उत्पादन इकाइयां.

19/6/15

(डॉ. अनिल कुमार)
सलाहकार/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2015**

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां
2. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक वित्त (स्था.) और वित्त(स्था.) स्पेशल, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित